


28.02.2024

पत्रावली पैश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की नायब तहसीलदार कारोई तहसील भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर बहस करनी चाही, बहस वकील वादी की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है। वकील प्रतिवादीगण ने भी नायब तहसीलदार कारोई तहसील भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की जाकर समर्थन किया है।


विभाजन प्रस्ताव
स्वीकार है।
दिनांक 1, 3, 4, 5, 6



मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। नायब तहसीलदार कारोई तहसील भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सालमपुरा प0ह0 कोचरिया भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


(वादी)

प्रतिवादी सं. 2 की
आवेदन


28/2/2024


1. श्री महावीर सिंह पिता चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/6	3.9584	—
487/2	1.5557	—
488/1	0.6504	—
किता 03	6.1645 हैक्टेयर	—

2. श्री दलपत सिंह पिता चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/3	2.2062	
487/3	0.0376	
488/2	0.0509	
485/7	3.8698	
किता 04	6.1645 हैक्टेयर	

3. श्री अर्जुन सिंह पिता चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/8	1.6307	
485/4	0.6829	
488/4	1.4803	
488/3	2.3706	
किता-4	6.1645 हैक्टेयर	

4. श्री महेन्द्र सिंह पिता चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/1	3.6353	
किता-1	3.6353 हैक्टेयर	-

5. श्री राजुलाल पिता रामलाल जाट सा. जोधा मंडेल का खेडा, भीलवाडा, राधेश्याम पुत्र बालूलाल जाट निवासी राजोला तहसील हमीरगढ, कन्हैयालाल पुत्र डालचन्द माली निवासी पुर तहसील भीलवाडा खातेदारान के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/5	2.5292	
किता-1	2.5292 हैक्टेयर	-

6. श्री महेन्द्र सिंह, श्री दलपत सिंह, श्री महावीर सिंह, श्री अर्जून सिंह पिता श्री चतुर सिंह राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम (रास्ते हेतु) निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/2	0.0504	
किता-1	0.0504 हैक्टेयर	-

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

(Handwritten Signature)
 (आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
 सहायक कलेक्टर
 भीलवाडा

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी -आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.एस.

उनवान

1-श्री महावीर सिंह पिता चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

—वादी

बनाम

- 1-अर्जुन सिंह पुत्र चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
- 2-दलपत सिंह पुत्र चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
- 3-महेन्द्र सिंह पुत्र चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
- 4-कन्हैयालाल पुत्र डालचन्द माली निवासी नर्सिंग द्वारा के पास, माली मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
- 5- राजूलाल पुत्र रामलाल जाट निवासी वार्ड नं0 14 जोधा मंडल का खेडा भीलवाडा।
- 6- राधेश्याम पुत्र बालूलाल जाट निवासी राजोला तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
- 7- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
- 8- राजस्थान राज्य जरिये नायक तहसीलदार कारोई जिला भीलवाडा।

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0


प्रकरण संख्या 33/2023 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र दाधीच उपस्थित प्रतिवादीगण की और से पृथ्वीराज चौधरी एवं श्रवण कुमार सैन उपस्थित - इस वाद में तारीख 28.02.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिक्री दी जाती है -

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सालमपुरा प0ह0 कोचरिया भू0अ0नि0क्षेत्र गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. श्री महावीर सिंह पिता चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/6	3.9584	-
487/2	1.5557	-
488/1	0.6504	-
किता 03	6.1645 हैक्टेयर	-


सहायक कलक्टर
भीलवाडा

2. श्री दलपत सिंह पिता चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/3	2.2062	
487/3	0.0376	
488/2	0.0509	
485/7	3.8698	
किता 04	6.1645 हैक्टेयर	

3. श्री अर्जुन सिंह पिता चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/8	1.6307	
485/4	0.6829	
488/4	1.4803	
488/3	2.3706	
किता-4	6.1645 हैक्टेयर	

4. श्री महेन्द्र सिंह पिता चतुर सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/1	3.6353	
किता-1	3.6353 हैक्टेयर	-

5. श्री राजुलाल पिता रामलाल जाट सा. जोधा मंडेल का खेडा, भीलवाडा, राधेश्याम पुत्र बालूलाल जाट निवासी राजोला तहसील हमीरगढ, कन्हैयालाल पुत्र डालचन्द माली निवासी पुर तहसील भीलवाडा खातेदारान के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/5	2.5292	
किता-1	2.5292 हैक्टेयर	-

6. श्री महेन्द्र सिंह, श्री दलपत सिंह, श्री महावीर सिंह, श्री अर्जुन सिंह पिता श्री चतुर सिंह राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम (रास्ते हेतु) निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
485/2	0.0504	
किता-1	0.0504 हैक्टेयर	-

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


 (आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
 भीलवाडा